माननीय एम.एम. कुमार और टी. पी. एस. मान न्यायमूर्ति के समक्ष

भारत संघ-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़

बेंच, चंडीगढ़ और अन्य-प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपीनं. 17187/सीएटी 2004

18 मई 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद- 226-सेवा की शर्तें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारी नियम, 1992- प्रतिवादी क्रमांक 2, भूतपूर्व पंजाब राज्य में सेवा में शामिल होना— प्रतिवादी की नियुक्ति यू.टी., चंडीगढ़ में कानूनी सहायक के रूप में- पदोन्नति संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी-चंडीगढ़ प्रशासन संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी का पदनाम परिवर्तन के आदेश सहायक कानूनी अनुस्मारक के लिए - वेतन में संशोधन स्केल - प्रतिवादी ए-एल- आर, यूओआई के पद के स्केल के अनुदान का दावा कर रहा है.

प्रतिवादी के दावे को खारिज करते हुए पुनः पदनाम को भी वापस ले लिया गया प्रतिवादी ए.एल.आर., - एक उपाय के रूप में दिए गए पदनाम का परिवर्तन कर्तव्यों में किसी परिवर्तन के बिना प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत और जिम्मेदारियाँ—एक अलग पदनाम प्रदान करने का अधिकार नहीं होगा.

उन्हें पदनाम के आधार पर एक पद का वेतनमान दिया जाए-याचिका स्वीकार की गई प्रतिवादी समूह के प्रतिवादी के आवेदन की अनुमति देने वाला ट्रिब्यूनल का आदेश एक तरफ, यह माना गया कि न्यायालय ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते जिसके परिणामस्वरूप सृजन हो सकता है नई पोस्ट, जैसा कि पंजाब राज्य ने 6 जनवरी को आदेश जारी करते समय किया है, 1992. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि सरकार उस पर के पद को समाप्त कर असिस्टेंट लीगल रिमेंबरेंसर का पद सृजित किया है

संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी। इसी तरह गैर योजना सृजन पर भी रोक लगा दी गयी आवश्यक समग्र मितव्ययिता उपायों को ध्यान में रखते हुए पोस्ट

शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप। सामान्यत पद हैं यदि उच्च जिम्मेदारी वाले कर्तव्यों में कोई बदलाव होता है तो अपग्रेड किया जाएगा। द्वारा पद पर सहायक कानूनी अनुस्मारक के पद का पदनाम प्रदान करना जिसे पहले संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी के नाम से जाना जाता था, कर्तव्य और उत्तरदायित्व वही बने रहे। किसी भी स्थिति में, आदेश देखें दिनांक 19 जनवरी 2004 को पदनाम देने का आदेश भी वापस ले लिया गया है। इसलिए, ट्रिब्यूनल ने आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति देकर कानून में गंभीर त्रुटि की है. और गलत निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन भी ट्रिब्यूनल द्वारा ओ.ए. में पारित आदेश के नंबर 1003/सीएच/01 के तर्क से सहमत नहीं है.

(पैरा 14 एवं 15)

श्री अमन चौधरी: भारत संघ के वरिष्ठ पैनल वकील।

श्री जे.आर. स्याल- प्रतिवादीसं. 2 व्यक्तिगत रूप से.

<u>निर्णय</u>

माननीय ऍम ऍम कुमार, न्यायमूर्ति:

1. भारत संघ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षिप्तता के लिए, 'न्यायाधिकरण') की चंडीगढ़ पीठ द्वारा मूल को अनुमति देते हुए दिनांक 30.6.2004 (पी-3) को चुनौती दी गई है। आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 का आवेदन और याचिकाकर्ता को मामले पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का निर्देश देना।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्ष 1964 में आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 तत्कालीन पंजाब राज्य में सेवा में शामिल हुआ। इसके बाद, 5.6.1980 को, उन्हें कानून विभाग, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में कानूनी सहायक के रूप में नियुक्त किया गया। 20.11.1991 को उन्हें संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी के पद का वर्तमान कार्यभार सौंपा गया । 10.1.1992 को, उन्हें `2400-60-2700-75-3000-100-400 के वेतनमान और `300/- प्रति माह के विशेष वेतन (ए-2) के साथ नियमित आधार पर संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के रूप में पदोन्नत और तैनात किया गया था।).

3. 13.1.1992 को, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने 'केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ कर्मचारियों की सेवा की शर्तें नियम, 1992' (संक्षिप्तता के लिए, '1992 नियम') के नाम से जाने जाने वाले नियमों को तैयार किया। संविधान के अनुच्छेद 309 (ए-3) के प्रावधान के तहत एक अधिसूचना जारी करना । 1992 के नियमों के अनुसार पंजाब सिविल सेवाओं में संबंधित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को केंद्रीय सिविल सेवाओं और प्रशासनिक के तहत समूह ए, बी, सी और डी में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों पर लागू किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक का नियंत्रण।

4. 9.5.1991 को पंजाब राज्य ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान को 1.1.1986 से संशोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद का मौजूदा वेतनमान, जो 31.12.1985 को `825-1580 प्लस `150/- प्रति माह विशेष वेतन था, को संशोधित करके 2400-4000 प्लस `300/- प्रति माह विशेष वेतन कर दिया गया। उक्त अधिसूचना में आगे कहा गया था कि उक्त पद को `3000-4500 प्लस `400/- प्रति माह विशेष वेतन के पैमाने पर सहायक कानूनी अनुस्मारक के स्तर पर अपग्रेड करने के मामले पर प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। वित्त विभाग (ए-4) के परामर्श से। इसके बाद 3.12.1991 को वित्त विभाग, पंजाब द्वारा कानून और विधायी विभाग, पंजाब (ए-5) में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद के स्थान पर सहायक कानूनी अनुस्मारक के पद के सृजन के लिए मंजूरी दी गई थी। 5.1.1992 को, गृह मामले और न्याय विभाग, पंजाब सरकार ने एक आदेश पारित कर कानूनी और विधायी मामलों के विभाग, पंजाब में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद के मौजूदा पदधारी को सहायक कानूनी अनुस्मारक के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें स्केल प्रदान किया। `3000-4500 के साथ `400/- प्रति माह का विशेष वेतन (ए-6)।

5. चंडीगढ़ प्रशासन ने भी अपने कर्मचारियों के वेतनमान को 1.1.1986 से काल्पनिक रूप से और 1.4.1991 से प्रभावी रूप से पंजाब राज्य के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर संशोधित करने का निर्णय लिया। उस उद्देश्य के लिए 'चंडीगढ़ प्रशासन सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1991 (संक्षिप्तता के लिए, '1991 नियम') के नाम से जाने जाने वाले नियम बनाए गए थे। 3.1.1992 को, 1991 के नियमों के नियम 3(जे) के प्रावधानों के अनुसरण में, चंडीगढ़ प्रशासन ने उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची अधिसूचित की। 'कानूनी स्मरणकर्ता-सह-अभियोजन निदेशक' शीर्षक के तहत दूसरी

अनुसूची के भाग XVIII के अनुसार, संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी का पद `3000- के पैमाने पर सहायक कानूनी स्मरणकर्ता के स्तर पर उन्नयन के लिए विचाराधीन था। `400/- प्रति माह के विशेष वेतन के साथ 4500। संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी के पद का वेतनमान `2400- 4000 प्लस `300/- प्रति माह विशेष वेतन दर्शाया गया है।

6. 2.12.1999 को, आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 ने `3000-4500 प्लस `400/- विशेष के अपरिवर्तित वेतनमान में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद को सहायक कानूनी अनुस्मारक के रूप में अपग्रेड करने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। 13.1.1992 से भुगतान करें (ए-7)।

7. 24.6.1994 को, गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आदेश पारित किया, जिसमें आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 का पदनाम चंडीगढ़ प्रशासन के कानून विभाग में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद से बदलकर सहायक कानूनी स्मरणकर्ता कर दिया गया। हालाँकि, यह मौजूदा वेतनमान यानी `2400-4000 प्लस `300/- प्रति माह विशेष वेतन (ए-8) में उनके व्यक्तिगत माप के रूप में किया गया था।

8. 10.1.1998 को, पंजाब राज्य ने 1.1.1996 से अपने कर्मचारियों के वेतनमान को और संशोधित किया (ए-9)। पूर्व अधिसूचना दिनांक 13.1.1992 (ए-3) को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कुछ संशोधनों (ए-10) के साथ दिनांक 10.1.1998 की उक्त अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नियमों को अपनाया। इस संशोधन के द्वारा, असिस्टेंट लीगल रिमेंबरेंसर के पद का वेतनमान 1.1.1996 से संशोधित कर `10025-15100 कर दिया गया है।

9. आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 ने सहायक कानूनी अनुस्मारक के पद के वेतनमान देने के लिए फिर से विभिन्न अभ्यावेदन दिए। आख़िरकार उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष 2001 का OA नंबर 1003-CH दायर किया, जिसे दिनांक 29.5.2003 (A-11) के आदेश के तहत निम्नानुसार निपटाया गया:

"13. ..... हम इस निर्देश के साथ ओए का निपटारा करते हैं कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, प्रतिवादी संख्या 1 इस मामले को नए सिरे से देखेगा और दिए गए संदर्भ पर पुनर्विचार करेगा चंडीगढ़ प्रशासन ने 400/- रुपये प्रति माह के विशेष वेतन के साथ 3000-4500 रुपये के वेतनमान में सहायक कानूनी अनुस्मारक के स्तर

पर संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद को सृजित/अपग्रेड किया है, जिसे बाद में 10025 रुपये तक संशोधित किया गया था। ऊपर दिए गए अवलोकन के आलोक में पंजाब पैटर्न पर 1.1.1996 से 800/- रुपये प्रति माह के विशेष वेतन के साथ 15100 और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें। सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष।"

10. 26.12.2003 को, याचिकाकर्ता भारत संघ ने आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 के दावे को खारिज कर दिया, जिसे चंडीगढ़ प्रशासन (ए-1) द्वारा पत्र दिनांक 26.12.2003 के माध्यम से सूचित किया गया था। इसके बाद, 19.1.2004 को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक और आदेश पारित किया गया, जिसमें आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 के सहायक कानूनी अनुस्मारक के रूप में पुनः पदनाम को वापस ले लिया गया और उसे फिर से संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी (ए/एक्स) के रूप में नामित किया गया। व्यथित महसूस करते हुए, आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 ने ट्रिब्यूनल के समक्ष ओए संख्या 58-सीएच 204 दायर किया। ट्रिब्यूनल ने दिनांक 30.6.2004 के आक्षेपित आदेश के तहत उपरोक्त मूल आवेदन (पी-3) की अनुमति दी।

11. हमने याचिकाकर्ता और श्री जेआर स्याल-प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वकील को व्यक्तिगत रूप से काफी विस्तार से सुना है और हमारा विचार है कि एक अलग पदनाम प्रदान करने से आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 श्री जेआर स्याल हकदार नहीं बन जाएंगे । पदनाम के आधार पर किसी पद का वेतनमान। दिनांक 24.6.1994 (ए-8) का आदेश निकालना उचित है:

"केंद्रशासित प्रदेश, चंडीगढ़ के प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासन के कानून विभाग में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद के मौजूदा वेतनमान में सहायक कानूनी अनुस्मारक के रूप में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पदनाम को बदलकर प्रसन्न हैं। यानी रु. 2400-60-2700-75-8000-400-4000 और रु. 300/- प्रति माह विशेष वेतन तत्काल प्रभाव से इस शर्त के अधीन कि सहायक कानूनी अनुस्मारक का पदनाम वर्तमान पदधारी के लिए व्यक्तिगत होगा। श्री जगदीश राम सयाल, संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन का कानून विभाग।

2. यह स्थानीय वित्त विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन की पूर्व सहमति से उनके यूओ नंबर 2924-यूटीएफ(8)-94/13132, दिनांक 24.6.1994 द्वारा जारी किया गया है।"

12. उपरोक्त आदेश से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 2 संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद पर कार्यरत था और गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन ने उसका पदनाम बदलकर चंडीगढ़ प्रशासन के कानून विभाग में सहायक कानूनी अनुस्मारक के रूप में कर दिया था। पदनाम में परिवर्तन आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 के व्यक्तिगत उपाय के रूप में दिया गया है। किसी भी मामले में उपरोक्त पदनाम 19.1.2004 (ए/एक्स) को वापस ले लिया गया था और इसलिए, वेतनमान देने के लिए कोई विवाद नहीं बचेगा। असिस्टेंट लीगल रिमेंबरेंसर का पद पंजाब राज्य में प्रचलित पद के वेतनमान के बराबर होगा। उपरोक्त तर्क दिनांक 3.1.1992 की अधिसूचना के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, जो चंडीगढ़ प्रशासन सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1991 के नियम 3 (जे) के प्रावधानों के अनुसरण में जारी किया गया है। भाग XVIII के अनुसार अनुसूची में 'विधिक स्मरणकर्ता-सह-अभियोजन निदेशक' शीर्षक के अंतर्गत संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी का पद था

`400/- प्रति माह के विशेष वेतन के साथ `3000-4500 के पैमाने पर सहायक कानूनी अनुस्मारक के स्तर पर उन्नयन के लिए विचार। संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद का वेतनमान `2400-4000 और विशेष वेतन के रूप में `300/- प्रति माह था। पंजाब राज्य ने आदेश दिनांक 6.1.1992 (ए-6) के तहत सहायक कानूनी अनुस्मारक का पद सृजित करने का आदेश पारित किया है और `3000 के वेतनमान में कानून और विधायी मामलों के विभाग में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया है। -4500 रु. 400/- प्रति माह के विशेष वेतन के साथ। इसलिए, संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद को समाप्त करने के बाद आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धारित पद के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती है। किसी भी मामले में, संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी का पद, जो अब पदनाम है, को प्रदत्त किया गया है। आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 का वेतनमान `2400-400 प्लस `300/- प्रति माह विशेष वेतन है।

13. अन्यथा भी हम पाते हैं कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कानून में टिकाऊ कारण दिनांक 26.12.2003 (ए/1) के आदेश में दिए गए हैं, जो ओए नंबर में ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पारित किया गया है। आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 के कहने पर 1003/सीएच/01।

दिनांक 26.12.2003 के आदेश में आवेदक-प्रतिवादी संख्या 2 के दावे को खारिज करने के समर्थन में दिए गए तीन वैध आधार इस प्रकार हैं:-

"(i). उच्च वेतनमान रु. 3000-4500 प्लस रु.

24.6.1994 से विशेष वेतन के रूप में 400/- रु. 10025-15100 प्लस रु. 1.1.1996 से विशेष वेतन के रूप में 800/- केवल पहले उक्त उच्च वेतनमान में एक पद सृजित करके तथा साथ ही निचले वेतनमान में पद को समाप्त करके ही दिया जा सकता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी समग्र मितव्ययिता निर्देशों के मद्देनजर गैर योजना पदों के सृजन पर भी रोक लगा दी गयी है.

(ii). चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें और वेतनमान 1.4.1992 से पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के लिए लागू समान निर्धारित किए गए थे। 1.1.1986 से पंजाब सरकार में संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के पद के लिए स्वीकृत वेतनमान श्री को स्वीकृत किया गया था। जेआर स्याल ने चंडीगढ़ प्रशासन के तहत पंजाब सरकार की तर्ज पर निचले पद को खत्म कर उच्च पद का सृजन करना सेवा शर्त नहीं माना जा सकता।

(iii). यदि उच्च जिम्मेदारी वाले कर्तव्यों में कोई बदलाव हुआ है तो पदों को अपग्रेड किया जाता है। हालाँकि, संहिताकरण और प्रकाशन अधिकारी के मौजूदा मामले में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और उनके कर्तव्यों का चार्टर वही बना हुआ है।"

14. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि न्यायालय ऐसे निर्देश जारी नहीं कर सकते जिसके परिणामस्वरूप एक नया पद सृजित हो, जैसा कि पंजाब राज्य ने दिनांक 6.1.1992 (ए-6) आदेश जारी करते समय किया है। उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शासन ने स्वयं संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी के पद को समाप्त कर सहायक विधि अनुस्मारक का पद सृजित किया है। उस संबंध में हरियाणा राज्य बनाम पियारा सिंह, सिंह , 1992 (4) एसएलआर 770 के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है।

15. इसी प्रकार, सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किए जाने वाले समग्र मितव्ययिता उपायों को ध्यान में रखते हुए गैर-योजनागत पदों के सृजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। आमतौर पर उच्च जिम्मेदारी वाले कर्तव्यों में कोई बदलाव होने पर पदों को अपग्रेड किया जाता है। जिस पद को पहले संहिताकरण एवं प्रकाशन अधिकारी के नाम से जाना जाता था, उस पद पर सहायक विधि अनुस्मारक का

पदनाम प्रदान करते हुए कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व यथावत बनाये रखे गये हैं। किसी भी स्थिति में, आदेश दिनांक 19.1.2004 (ए/एक्स) के तहत पदनाम प्रदान करने वाला आदेश भी वापस ले लिया गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल ने आवेदक-प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति देकर कानून में गंभीर त्रुटि की है और गलत निष्कर्ष निकाला है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन भी तर्क की पकड़ में नहीं आया है। ट्रिब्यूनल द्वारा ओए नंबर 1003/सीएच/01 में पारित आदेश का।

16. उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, यह याचिका सफल होती है। ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2004 (पी-3) को रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा